उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला आपूर्ति शाखा)
ई–मेलः– dso-giridih@jharkhandmail.gov.in

Migrant Labourers को Dry Ration Food Packet आपूर्ति हेतु

अति अल्पकालीन निविदा का नोटिश

NOVEL CORONA VIRUS (COVID-19) के तहत् गिरिडीह जिला में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को **Dry Ration Food Packet** (चावल– 10 किग्रा, अरहर दाल– 1 किग्रा, चना दाल–1 किग्रा, सरसो तेल– 1 लीटर, नमक– 1 किग्रा का एक पैकेट) का वितरण किया जाना है। इस हेतु सरकार द्वारा चावल सहित सभी सामग्रियों का अधिकतम राशि 550/–रूपये प्रति पैकेट(पैकेंटिग, लेवलिग, परिवहन एवं हथालन सहित) निर्धारित किया गया है। चावल का कय जिला प्रशासन द्वारा FCI से किया जाना है जिसे मिलाकर पैकेट तैयार किया जाना है।

चावल को छोड़कर शेष सामग्रियों की आपूर्ति पैकेटिंग एवं वितरण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। जो भी फर्म /विक्रेता उपरोक्त खाद्य सामाग्रियों का थोक/खुदरा विक्रय करते हों वे निविदा में भाग ले सकते हैं।

निविदा प्रपत्र कार्यालय अवधि में दिनांक 17.05.2020 को **05:00 बजे अप0** तक **1000.00 (एक हजार)रू0** का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। ड्राफ्ट **जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह** के पदनाम से गिरिडीह के किसी बैंक में भुगतेय होगा, जो Non-Refundable होगा।

निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में देना होगा जिसमें पहला लिफाफा तकनीकी का होगा एवं दूसरा वित्तीय निविदा का। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर उसपर बड़े–बड़े साफ अक्षरों में **"Migrant Labourers को Dry Ration Food Packet आपूर्ति हेतु अति अल्पकालीन निविदा 2020–21"** अंकित करना होगा तथा निविदादाता फर्म का नाम पता लिफाफे पर अंकित करना होगा। सभी शर्तो को पूर्ण करते हुए निविदा दिनांक 19.05.2020 को 01.00 अपराह्न तक जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह में डाला जा सकता है। सभी निविदा उसी दिन 03.00 बजे अपराह्न में निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदादाता को **Rs.50000.00 (पचास हजार रूपये)** का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट **जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह** के नाम से सुरक्षित जमा देना होगा। जो गिरिडीह के किसी बैंक शाखा में भुगतेय होगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय/अनुमण्डल स्तरीय/प्रखण्ड स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति/GST अद्यतन रिटर्न की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वित्तीय भाग नहीं खोला जाएगा।

निविदा की शर्तेः–

1. **तकनीकि निविदाः–** इस लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जाएगें।
   1. निविदादाता को **Rs.50000.00 (पचास हजार रूपये)** का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट **जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह** के नाम से सुरक्षित जमा देना होगा। जो गिरिडीह

2. वाणिज्य/राज्य कर निबंधन संबंधित कागजात, जिसमें संबंधित खाद्यान्न के क्रय–विक्रय कार्य का उल्लेख हों। (जीएसटी नम्बर के साथ)
3. विगत् दो वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र।
4. चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. जिले के स्थानीय बिक्रेता को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **वित्तीय निविदाः–**

1. अरहर दाल, चना दाल, सरसो तेल, नमक का दर अलग–अलग प्रति किलोग्राम/लीटर में अंकित करना होगा। जिसमें एक–एक किलो दाल एवं नमक तथा 1 लीटर सरसों तेल का अलग–अलग पैकेटिंग के साथ सभी प्रखण्ड के पंचायत अवस्थित Quarantine Center में पहुँचाने का दर भी सम्मिलित है।
2. सभी सामग्री का नमूना लगभग 50 ग्राम छोटे पैकेट में मुंहरबंद कर वित्तीय निविदा के साथ समर्पित करना होगा।

3. **अन्य शर्तेः–**

1. चावल का क्रय जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा किया जायेगा। जिसका दर उक्त **प्रति पैकेट 550/–रूपये** में सम्मिलित है।
2. निविदा स्वीकृति की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रवासी मजदूर की सूची प्राप्त कर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर Dry Ration Food Packet उपलब्ध करायेंगे।
3. Dry Ration Food Packet का परिवहन, हथालन तथा पैकेजिंग का व्यय आपूर्तिकर्त्ता को वहन करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी ।
4. Dry Ration Food Packet की आपूर्ति के प्रमाण स्वरूप चालान निर्गत करना होगा जिसपर प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्राप्ति के साथ हस्ताक्षर अंकित रहेगा।
5. आपूर्ति किये गये Dry Ration Food Packet का विपत्र उक्त चालान को संलग्न करते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
6. किसी भी समय निविदा बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत अथवा रदद् करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
7. समय–समय पर उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा।
8. पैकेट पर झारखण्ड सरकार का **"लोगो"** सहित आपूर्ति कार्यालय द्वारा तैयार प्रपत्र में लेवल चिपकाना/ प्रिन्ट कराना होगा।

15/05/2020
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

15/05
उप विकास आयुक्त,
गिरिडीह।

Rahul
15/5/2020
उपायुक्त, गिरिडीह।